राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.8(1)E.O.D.B/आई.आर./श्रम/2020 पार्ट–2/16280. जयपुर, दिनांक 04.03.2021

आदेश

राज्य के उद्योगों पर व्यवसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगो को प्रोत्साहन देने तथा Ease of doing business के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए संस्थान प्रबंधन को निम्न श्रम विधियो में अन्य पक्ष प्रमाण पत्र (Third party certification) की सुविधा प्रदान की जाती है:–

1. बीडी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966
2. ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970
3. केन्द्रीय अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
4. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
7. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
8. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
9. बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम, 1986
10. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
11. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा की शर्ते का विनियमन) अधिनियम, 1996
12. उपादान भुगतान अधिनियम,1972
13. समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976
14. बोनस भुगतान अधिनियम,1965
15. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946
16. विक्रय बढोतरी अधिनियम,1976
17. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
18. कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार (सेवा की शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम,1955

ऐसे उद्योग/संस्थापन यदि केन्द्रीय श्रम संगठनों (सीटू, बीएमएस, इंटक, एटक, एचएमएस व आरसीटू) से एक प्रतिनिधि तथा नियोजक संगठनो (एम्प्लायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज व लघु उद्योग भारती) से एक प्रतिनिधि का चयन कर इन दो व्यक्तियों द्वारा श्रम विधियों की अनुपालना का अंकेक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विभागीय पोर्टल LDMS पर अपलोड करते हैं तो उन्हे दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।

उक्त अधिनियमों एवं संबंधित राजस्थान नियमों के अन्तर्गत अन्य पक्ष प्रमाण पत्र (Third party certification) प्रस्तुत करने के लिए नियोजक/संस्थान प्रबंधन को निम्नानुसार शर्तो के अनुसार अधिकृत किया जाता है:–

1. दुर्घटनाओ/शिकायतों के मामलो में संस्थान का अन्य पक्ष प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
2. श्रम निरीक्षक द्वारा निषिद्ध होने पर किसी भी वर्ग या प्रकार या क्षेत्र के संस्थानों का अन्य पक्ष निरीक्षण नहीं किया जायेगा।
3. नियोजक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करेगा।

यदि कोई नियोजक अन्य पक्ष प्रमाण पत्र (Third party certification) योजना अपना लेता है और उसके पश्चात शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार लिखित रूप में प्राप्त शिकायत के सही पाये जाने पर किसी भी तृतीय पक्ष के प्रमाण पत्र को किसी भी समय सीमित अवधि या हमेशा के लिए रद्द कर सकेगी।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.8(1)E.O.D.B/आई.आर./श्रम/2020 पार्ट–2/16281-03 जयपुर, दिनांक 04.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (मु0) राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त उद्योग एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
5. संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
6. संबंधित/गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर।